

अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)


शान्ति देवी पत्नि हीरालाल मीणा निवासी नाथूण

बनाम

गौरूलाल पिता किशोर मीणा निवासी नाथूण वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 701/2023

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स अज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये |
|-------------|---|---|
| 21.06.2023  | <p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम रामा का खेडा पटवार हल्का धोड तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 203 कुल किता 01 रकबा 2.2662 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी हैं। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार हैं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया हैं। अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम रामा का खेडा पटवार हल्का धोड तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 203 कुल किता 01 रकबा 2.2662 हैक्टेयर की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1500 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> |   |

  
उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर(भीलवाडा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला मीलवाडा

क/सीडर/2023/701/2023

दिनांक :- 21.06.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय - प्र.स. 701/23 अनवान शान्ति देवी पत्नि हीरालाल जाति मीणा निवासी नाथूग  
बनान गौरु लाल पिता किशोर मीणा, सोराज पिता रघुनाथ मीणा, राधेश्याम, कालु लाल  
पिता छोटू लाल मीणा, मोतीलाल, फौरु लाल पिता अगदाराम मीणा, अगदीलाल पिता  
नन्दाराम मीणा, मांगीलाल पिता तुलसीराम मीणा, सोराम पिता कालूराम मीणा निवासीयान  
नाथूग तहसील जहाजपुर जिला-मीलवाडा राजस्थान

पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयकित अनवान के प्रकरण में ग्राम रामा का खेडा पटवार हल्का घोड  
तहसील जहाजपुर जिला मीलवाडा की आराजी नम्बर 203 कुल कित्ता 01 रकबा 22662 हैक्टेयर  
भुमि की उनय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ को  
कमीस्तर नियुक्ति किया जाता है। कमीस्तर फ्रीस 1500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर  
अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के  
कबजे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

*De*  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (मीलवाडा)